22

दिनांक 05.03.2013 एवं 12.03.2013 को निदेशक, उद्योग की अध्यक्षता में पूंजीगत अनुदान से संबंधित निदेशालय स्तर पर लंबित दावों के निष्पादन हेतु "राज्य स्तरीय समिति" की बैठक की कार्यवाही :–

---

1. उपस्थिति :–

1	श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, उद्योग, झारखण्ड, राँची	अध्यक्ष
2.	श्री राज कुमार उप सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची (सचिव, उद्योग के प्रतिनिधि)	सदस्य
3	श्री सुशील कुमार, सहायक निदेशक, एम0एस0एम0ई0, कोकर, राँची (प्रतिनिधि एम0एस0एम0ई0 निदेशालय भारत सरकार)	सदस्य
4.	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि इलाहाबाद बैंक, राँची	आमंत्रित सदस्य
5.	श्री डी0पी0 विद्यार्थी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, राँची	सदस्य सचिव
6	श्री मधुकर सिंहा, वाणिज्यकर सहायक आयुक्त वाणिज्यकर विभाग, झार0, राँची (प्रतिनिधि वाणिज्यकर विभाग)	विशेष आमंत्रित सदस्य
7.	श्री महेन्द्र महतो, ई0ई0 झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची (प्रतिनिधि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद विभाग)	विशेष आमंत्रित सदस्य
8	श्री संजय राजदीप जॉन, सचिव, रियाडा (प्रबंध निदेशक, रियाडा के प्रतिनिधि)	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	श्री बी0एम0एल0दास कर्ण, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	श्री श्यामल दास, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह (महाप्रबंधक, जि0उ0के0 के प्रतिनिधि)	विशेष आमंत्रित सदस्य
11	श्री राजेन्द्र प्रसाद, परियोजना प्रबंधक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	श्री कैलाश प्रसाद, परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची। (महाप्रबंधक, जि0उ0के0 के प्रतिनिधि)	विशेष आमंत्रित सदस्य
13	श्री मनोज कुमार सिंह, उ0वि0पदा0, आयडा (प्रबंध निदेशक, आयडा के प्रतिनिधि)	विशेष आमंत्रित सदस्य
14	श्री एस0 एन0 केजरीवाल, विभागीय परामर्शी	विशेष आमंत्रित सदस्य

2. झारखण्ड औद्योगिक नीति– 2001 तथा झारखण्ड औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2003 के प्रावधानों के तहत राज्य में स्थित औद्योगिक इकाईयों को पूंजीगत अनुदान एवं अन्य अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

3. (क) समिति के समक्ष यह तथ्य प्रकाश में लाया गया कि झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 के अन्तर्गत अनुदान के आवेदनों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई इकाइयों के द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन तिथि का प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त नहीं किया गया है, जैसा कि झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 के कंडिका–29.2 एवं परिशिष्ट–I के कंडिका–16 एवं झारखण्ड औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2003 में इस आशय का प्रावधान है। इकाइयों के द्वारा EM Part-II प्राप्त करने के आधार पर आवेदन किया गया है। EM Part-II MSME Act-2006 के अन्तर्गत acknowledgement है तथा इसका सत्यापन सक्षम स्तर द्वारा नहीं किया जाता है। यह आवेदक की घोषणा/स्व–प्रमाणन पर आधारित है। प्रायः मामलों में गलत सूचना/घोषणा देकर इकाई द्वारा EM-II प्राप्त है।

(ख) कतिपय इकाई या सक्षम प्राधिकार/regulator जो Act के तहत है, उसका प्रमाण पत्र बिना दिए, गलत तथ्यों पर भी EM II प्राप्त किया है। EM II MSME Act/JIP-2001 के तहत अनुदान हेतु पर्याप्त नहीं है। अतः EM II का मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया गया।

(ग) EM के संबंध में भारत सरकार के अधिसूचना संख्या NO.S.O. 941 (E) dated 07-06-2007 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि "THE ISSUE OF THIS ACKNOWLEDGEMENT DOES NOT BESTOW ANY LEGAL RIGHT. THE ENTERPRISE IS REQUIRED TO SEEK REQUISITE CLEARANCE/LICENCE/PERMIT REQUIRED UNDER STATUTORY OBLIGATION STIPULATED UNDER THE LAWS OF CENTRAL GOVERNMENT /STATE GOVERNMENT/UT ADMINISTRATION/COURT ORDERS."

4. समिति के द्वारा यह भी देखा गया कि वाणिज्यिक उत्पादन तिथि के निर्धारण में प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के प्रावधानों का ध्यान रखे बिना प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act-1981 अंकित है कि "Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of State Board, establish or operate any industrial plant in an Air pollution control area तथा section 24 & 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act-1974 में "Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of State Board :–

(a) establish or take any steps to establish any industry, operation or process, or any treatment and disposal system or any extension or addition thereto, which is likely to discharge sewage or trade effluent into a stream or well or sewer or on land (such discharge being hereafter in this section referred to as discharge of sewage);

(b) bring into use any new or altered outlet for the discharge of sewage, or operate.

इस तरह इकाई द्वारा एक्ट के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया है लेकिन JSPCB/स्थाई जिला स्तरीय पर्यावरण समिति द्वारा इस पर निरोधात्मक कार्रवाई नही की गयी। DOP निर्धारण में सक्षम प्राधिकार/जांच दल ने इन तथ्यों को overlook किया। पर्यावरण एवं एक्ट के विरूद्ध कार्य करनेवाले JIP-2001/JIIR-2003 इत्यादि के तहत लाभ लेने के कामयाब रहे, जो गलत था।

5. पूर्व में जो EM II पर अनुदान प्राप्त/स्वीकृत हुआ है, उसकी संघन समीक्षा की जाए, इसकी स्वीकृति रद्द किया जाए। समुचित DOP यूनिट प्राप्त कर नियमानुसार claim ही मात्रप्राप्त करे।

6. पूर्व बैठक में तथ्यों के अभाव में अगर कोई इकाई JIP-2001/JIIR-2003 इत्यादि के विरूद्ध लाभ स्वीकृति/प्राप्त की हो, तो उप निदेशक प्रभारी JIP, ऐसी इकाइयों की लिस्ट तैयार कर स्वीकृति रद्द/राशि वसूली, जो अनुमान्य है, किया जाए।

7. कतिपय ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जिसमें बिना DOP के ही आवेदन विभिन्न IADAs/GMs द्वारा अग्रसारित है जो JIP-2001/JIIR-2003 के प्रतिकूल है, उनसे स्पष्टीकरण गलत अनुशंसा का पूछा जाए एवं पुनरावृति नहीं करने का निर्देश दें।

8. ऐसी इकाई जो बिना NOC/Ist consent to operate के चल रही है, संज्ञान में आने पर DD (incharge)/GMs/IADAs सूची बनाकर JSPCB/स्थानीय उपायुक्त को कार्रवाई हेतु भेजें। कदापित सरकारी प्रोत्साहन ~~ने~~ दिया जाए तथा कंडिका–6 के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

9. इकाइओं को नियमों के पालन हेतु कार्यशाला कर अवगत कराये ताकि compliance बढ़े/सहयोग किया जाए।

10. ऐसी इकाइयां, जो अवैध है एवं बिना विधिवत डी0ओ0पी0 तथा statutory provision की कार्यरत है, पूर्व में भुगतान प्राप्त किया हो तो इसकी विधिवत वसूली निदेशक, उद्योग/प्रभारी उप निदेशक प्रारम्भ करें।

11. ऐसे महाप्रबंधक/सचिव/विकास पदाधिकारी AIDAs जो JIP-2001/JIIR-2003 इत्यादि के प्रावधानों के विरूद्ध डी0ओ0पी0 निर्गत किया, अनुदान आवेदन incomplete/wrong अनुशंसा/अग्रसारण किया तथा गलत अनुदान भुगतान कराया एवं वसूली का प्रयास नहीं किया, स्पष्टीकरण पूछ कर कार्रवाई की जाए। निदेशक, उद्योग कार्रवाई करे। शेष निर्देश, जो सूद अनुदान में दिए गए उसका भी अनुपालन किया जाए।

12. कतिपय ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें सूचना के अभाव, गलत डी0ओ0पी0 के आधार पर समिति की अनुशंसा प्राप्त हो, समिति legally अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकती है। ऐसे मामले समिति के समक्ष न लाया जाए।

13. समिति की अनुशंसा पर नियंत्री पदाधिकारी–निदेशक, उद्योग, तथ्यों एवं नियमों के आलोक में कार्रवाई, अनुशंसा मान्य एवं अमान्य हेतु सक्षम है। इनका निर्णय अंतिम है।

14. निदेशक, उद्योग यह सुनिश्चित करे कि किसी गलत non-eligible unit को लाभ न मिले एवं प्राप्त हो तो वसूली की जाए।

15. झारखण्ड औद्योगिक नीति– 2001 तथा झारखण्ड औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली–2003 के प्रावधानों के तहत राज्य में स्थित गैर मेगा औद्योगिक इकाईयों द्वारा किये गये अचल पूँजी निवेश के आधार पर पूँजीगत अनुदान के अब तक निदेशालय स्तर पर प्राप्त तथा समीक्षोपरान्त अनुशंसित **कुल 21 इकाइयों** के प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये गये है। समिति द्वारा इकाईवार विमर्शोपरान्त निम्न रूप से निर्णय लिए गये इन आवेदनों की प्रारम्भिक तथ्यात्मक जांच सदस्य सचिव–सह–प्रभारी उप निदेशक, श्री विद्यार्थी तथा उनकी team एवं विभागीय CA परामर्शी द्वारा किया गया है। निम्न आवेदन विचारणीय नहीं है। इसकी अनुशंसा तथा तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है :–

दिनांक 05.03.2013 की कार्यवाही

1. **सर्वश्री सुन्दरम फेरोटेक प्रा0लि0, गिरिडीह** :– यह इकाई पीग आयरन उत्पादन करनेवाली नई इकाई है। इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन तिथि दिनांक 03.04.2007 है जिसका निर्धारण निदेशालय के पत्रांक 604 दिनांक 19.03.2010 के द्वारा किया गया है।

यद्यपि इकाई कार्यरत करने हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से consent to operate प्राप्त नहीं किया गया है। यह मामला प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act-1981 & section 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act-1974 का उल्लंघन कर गलत तरीके से संचालित है।

इस इकाई के आवेदन की समीक्षा के उपरान्त निदेशालय के पत्रांक 1295 दिनांक 02.04.2012, 2460 दिनांक 09.08.2012, 276 दिनांक 02.02.2013 के द्वारा वांछित कागजातों की मांग की गयी थी एवं दिनांक 15.10.2012 के राज्य के प्रमुख अखबारों यथा दैनिक भास्कर में सूचना प्रकाशित कर कागजातों की मांग की गयी थी, जो इकाई के द्वारा अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस तरह इकाई के पास अभिलेख उपलब्ध नहीं है अथवा इकाई का सहयोगात्मक रवैया नहीं है एवं मामले में रूचि नहीं है।

समिति के द्वारा इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन तिथि को दोषपूर्ण पाया। इकाई एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप Red category "उच्च Pollution category में 5 वर्ष संचालित है जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ा है। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उपायुक्त, गिरिडीह नियम संगत कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। तत्काल ऐसी illegally run इकाई के अनुदान को ***अस्वीकृत (reject)*** करने की अनुशंसा की जाती है। निदेशक उद्योग संबंधित का ध्यान आकृष्ट करे।

2. **सर्वश्री वेंकटेश स्पांज एण्ड आयरन कम्पनी प्रा0लि0, गिरिडीह** :– यह इकाई लघु उद्योग अन्तर्गत स्पांज आयरन उत्पादन हेतु EM Part-II निबंधित इकाई है जिसकी वाणिज्यिक उत्पादन तिथि स्व–घोषणा EM-II के क्रम में 01.02.2008 है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह के ज्ञापांक 727 दिनांक

12.09.2009 के द्वारा निर्गत है। इकाई द्वारा दिनांक 22.12.2008 को जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह में आवेदन समर्पित किया गया है। इकाई के द्वारा 04 माह 21 दिन विलंब से आवेदन किया गया था जिसे निदेशालय के ज्ञापांक 2608 दिनांक 25..11.2010 के द्वारा अस्वीकृत किया गया था। पुनः इकाई के अनुरोध पर इकाई के दावे को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

समीक्षा के कम में पाया गया कि पाया कि इकाई की स्थापना हेतु consent to establish (NOC) झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक एन–69 दिनांक 29.03.2006 के द्वारा स्पांज आयरन के उत्पादन हेतु निर्गत है। इकाई को कार्यरत करने हेतु झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रथम consent to operate दिनांक 28.02.2009 को निर्गत है तथा इसकी वैधता 01.01.2009 से दिनांक 31.12.2009 है। यह मामला प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act-1981 & section 24 & 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act-1974 की अवहेलना का है। इकाई का डी0ओ0पी0 दिनांक 01.02. 2008 त्रुटिपूर्ण है। बिना कन्सेंट टू ऑपरेट के कोई भी औद्योगिक red category इकाई उत्पादन शुरू नहीं कर सकती है। यह एक्ट की भवना के प्रतिकूल है एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का है। ऐसी गलतियों को समिति नजरअंदाज/प्रोत्साहित नहीं कर सकती है। महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गिरिडीह के प्रतिनिधि ने बताया कि यह इकाई बन्द (closed) है। ऐसी इकाई के आवेदन विचारणीय नहीं होने चाहिए।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के कम में समिति के द्वारा द्वारा निर्णय लिया गया कि सर्वश्री वेंकटेश स्पांज एण्ड आयरन कम्पनी प्रा0लि0, गिरिडीह का डी0ओ0पी0 दोषपूर्ण है, पूर्व में निम्नलिखित आवेदन अस्वीकृत सक्षम प्राधिकार से है। प्राप्त legal opinion के अनुसार पुनर्विचार की शक्ति same प्राधिकार को नहीं हे। अतः आवेदन प्रथम दृष्टया अधूरा एवं विचारणी नहीं है। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उपायुक्त, गिरिडीह को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए।

3 **सर्वश्री बिहार फाउण्ड्री एण्ड कास्टिंग लि0, औ0क्षे0, रामगढ़** – यह इकाई मध्यम उद्योग अन्तर्गत फेरो सिलीको मैंगनीज उत्पादन की विस्तारित इकाई है। इकाई के द्वारा विस्तार योजना कार्यान्वित की गई है जिसकी वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 01.04.2009 उद्योग निदेशालय के पत्रांक 933 दिनांक 18.04.2011 के द्वारा निर्धारित है, जबकि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा इकाई के पक्ष में निर्गत प्रथम एवं अद्यतन consent to operate अप्राप्त है। निदेशालय के पत्रांक 159 दिनांक 22.01.2013 के द्वारा स्मारित कराते हुए पुनः सूचना की मांग की गयी। इकाई के द्वारा अपने पत्रांक 1774 दिनांक 20.02.2013 के द्वारा उक्त पत्र के कम में consent to establish (NOC) संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है तथा consent to operate के संबंध में सूचित किया गया है consent to operate के लिए आवेदन लगातार जमा किया गया है। अतः इकाई को consent to operate निर्गत ही नही है। यह प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act-1981 &

section 24 & 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act-1974 की अवहेलना का है। विना consent to operate इकाई के द्वारा उत्पादन शुरू नही किया जा सकता है। यह Red category इकाई है। वातावरण को महती क्षति पहुंचा रही है। ऐसी गलतियों को ignore नहीं किया जा सकता है।

समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि इकाई के पक्ष में निर्गत डी0ओ0पी0 defective है। ऐसे में यह illegally run इकाई है, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद/उपायुक्त, रामगढ़ को समुचित कार्रवाई हेतु सूचित किया जाए। इकाई का आवेदन **अस्वीकृत (reject)** की अनुशंसा की जाती है।

4. **सर्वश्री अक्षय रॉल मिल प्रा0लि0, रामगढ़** –यह इकाई मध्यम उद्योग अन्तर्गत T.M.T.Bar उत्पादन हेतु स्थाई रूप से निबंधित है जिसकी वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 08.12.2005 उद्योग निदेशालय का पत्रांक 1398 दिनांक 21.06.2008 के द्वारा निर्धारित है। इकाई द्वारा पूँजीगत अनुदान की स्वीकृति हेतु दिनांक 30.03.2007 को विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र रियाडा में समर्पित किया गया है। अतः आवेदन 09 माह 07 दिन विलंब से समर्पित है।

परामर्शी द्वारा कई कागजातों की कमी बतायी गयी जिसमें NOC, consent to operate, valuer certificte, factory license एवं CA certificate regarding investment in prescribed format शामिल है। उक्त के कम में पत्रांक 128 दिनांक 19.01.2013 के द्वारा सभी सूचनाओं की मांग की गयी। इकाई के पत्रांक दिनांक 12.02.2013 एवं रियाडा के पत्रांक 306 दिनांक 04.03.2013 के द्वारा प्राप्त सूचना में संलग्न किया गया **NOC वर्ष 1998 का है** एवं कन्सेंट टू ऑपरेट के लिए समर्पित किए गए आवेदन की प्रति संलग्न कर भेजी गयी है। **कन्सेंट टू ऑपरेट इकाई के पक्ष में निर्गत नहीं है।** दैनिक भास्कर दिनांक 15.10.2012 को प्रकाशित सूचना के बाद भी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

अतः प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act-1981 & section 24 & 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act-1974 की अवहेलना का है। यह औद्योगिक इकाई के लिए mandatory है, किसी भी इकाई के द्वारा बिना consent to operate के उत्पादन शुरू नहीं किया जा सकता है। "यह इकाई illegally संचालित है।" समिति के द्वारा उक्त के कम में निर्णय लिया गया कि इकाई के पक्ष में निर्गत डी0ओ0पी0 defective है। यह illegally run इकाई है। अतः अनुदान आवेदन को अस्वीकृत **(reject)** करने की अनुशंसा किया जाता है। JSPCB/MD, RIADA/DC, Ramgarh नियम संगत कार्रवाई करना चाहेंगे।

5. **सर्वश्री डेजल फूड एण्ड वेबरेज प्रा0लि0, ओरमांझी, राँची** – यह इकाई ड्रिंकिंग वाटर उत्पादन हेतु EM Part-II निबंधित इकाई है। इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन तिथि दिनांक 11.02.2011 है, जो महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची के पत्रांक 456 दिनांक 24.02.2012 के द्वारा निर्धारित की गयी है।

इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन तिथि consent to operate के आलोक में निर्धारित नहीं की गयी। consent to operate इकाई के पक्ष में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा पत्रांक जी–755 दिनांक ***12.04.2012*** के द्वारा निर्गत है, जो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि बिना consent to operate इकाई को चालू करना एयर/वाटर एक्ट का उल्लंघन है। यह मामला प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act-1981 & section 24 & 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act-1974 की अवहेलना का है। इसी क्रम में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, राँची के ज्ञापांक 231 दिनांक 13.02.2013 के द्वारा पूर्व में निर्गत डी0ओ0पी0 को रद्द करते हुए डी0ओ0पी0 को पुनर्निर्धारित किया गया और अब इकाई का डी0ओ0पी0 **12.05.2012** निर्धारित की गयी है। अतः इकाई JIP-2001 के तहत किसी अनुदान हेतु eligible नहीं है। दिनांक 26.05.2012 के **राज्य स्तरीय समिति की बैठक** में इकाई के पक्ष में पूंजीगत अनुदान के रुप में रु0 **18.70 लाख** (अठारह लाख सत्तर हजार रूपये) मात्र की अनुशंसा की गयी थी निदेशक, उद्योग वर्णित परिस्थिति में निर्णय नियंत्री पदाधिकारी के क्रम में लें। अगर गलत भुगतान हुआ है तो वसूली की जाए।

6 **<u>सर्वश्री कुंजबिहारी, फूड प्रोसेसर्स प्रा0लि0, सुकीगढ़ा, रामगढ़</u>** :– यह इकाई मध्यम उद्योग अन्तर्गत चावल, खुदी, ब्रान उत्पादन हेतु स्थाई रूप से निबंधित है। वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 08.02.2011 जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग के पत्रांक 636 दिनांक 25.06.2011 के द्वारा निर्धारित किया गया है। इकाई के पक्ष में अभी तक **कन्सेंट टू ऑपरेट JSPCB द्वारा निर्गत** नहीं किया गया है। केवल एन0ओ0सी0 पत्रांक एन–40 दिनांक 30.04.2010 के द्वारा निर्गत किया गया है। यह एक illegally run highly polluting industry है। codal provision के उल्लंघन हेतु इकाई दोषी है।

निदेशालय के पत्रांक 1093 दिनांक 31.03.2012 के द्वारा इकाई के पक्ष में निर्गत प्रथम एवं अद्यतन कन्सेंट टू ऑपरेट के प्रति की मांग इकाई से की गयी, जो इकाई के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक डी–5022 दिनांक 23.11.2012 के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रासंगिक इकाई **के consent to operate के आवेदन को अस्वीकृत (reject) कर दिया गया है**। अतः इकाई का संचालन बन्द होना चाहिए।

इकाई के द्वारा एयर/वाटर एक्ट का उल्लंघन किया गया है। यह मामला प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act-1981 & section 24 & 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act-1974 का उल्लंघन किया जाता है। इस क्रम में निर्गत DOP पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। यह JIP-2001 के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु eligible इकाई नहीं है।

पूर्व में दिनांक 09.09.2011 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में इकाई के पक्ष में पूंजीगत प्रोत्साहन अनुदान मद में रू0 25.00 लाख (पचीस लाख रूपये) की अनुशंसा की गयी थी। इस संबंध में निदेशक, उद्योग निर्णय लें एवं गलत भुगतान की वसूली करें।

7. **सर्वश्री आधार राईस मिल प्रा0लि0, चाण्डिल, सरायकेला–खरसांवा** :– इकाई लघु उद्योग अन्तर्गत चावल उत्पादन हेतु निबंधित इकाई है। विभागीय पत्रांक 970 दिनांक 24.03.2012 के द्वारा कन्सेंट टू ऑपरेट की मांग की गयी थी। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक 5022 दिनांक 23.11.2012 के द्वारा सूचित किया गया है कि इकाई को कन्सेंट टू ऑपरेट निर्गत करने के क्रम में शो–कॉज किया गया है। इकाई के पक्ष में केवल एन0ओ0सी0 झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक 121 दिनांक 07.10.2010 के द्वारा निर्गत किया गया है। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा अभी तक इकाई के पक्ष में कन्सेंट टू ऑपरेट निर्गत नहीं किया गया, जो किसी भी इकाई के लिए mandatory है। राईस मिल एक highly polluting इकाई है। यह एक illegally run इकाई है। वर्तमान में under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act-1981 & section 24 & 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act-1974 की स्पष्ट अवहेलना का है।

दिनांक 17.02.2012 को निदेशक, उद्योग की अध्यक्षता में समिति के द्वारा इकाई के पक्ष में अद्यतन कन्सेंट टू ऑपरेट उपलब्ध कराने की शर्त पर पूंजीगत प्रोत्साहन अनुदान मद में रू0 25.00 लाख की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी थी। निदेशक, उद्योग नियंत्री पदाधिकारी के रूप में निर्णय हेतु सक्षम है। गलत भुगतान नहीं होना चाहिए एवं हुआ है तो वसूली की जाए।

8. **सर्वश्री एम0जी0आर0 एग्रो प्रोडक्ट प्रा0लि0, जमुआ धालभूमगढ़, पूर्वी सिंहभूम** :– इकाई लघु उद्योग अन्तर्गत चावल उत्पादन नई इकाई है। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक 5022 दिनांक 23.11.2012 के द्वारा सूचित किया गया है कि इकाई से कन्सेंट टू ऑपरेट निर्गत करने के क्रम में **शो–कॉज किया गया है**। इकाई के पक्ष में केवल एन0ओ0सी0 झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक 4687 दिनांक 04.09.2009 के द्वारा निर्गत किया गया है। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा अभी तक इकाई के पक्ष में **कन्सेंट टू ऑपरेट निर्गत नहीं किया गया**, जो किसी भी इकाई के लिए mandatory है। राईस मिल एक high polluting इकाई है। यह एक illegally run इकाई है। इकाई का DOP बिना consent to operate के निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इकाई का यह कार्य under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act-1981 & section 24 & 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act-1974 की स्पष्ट अवहेलना का है।

दिनांक 17.02.2012 को निदेशक, उद्योग की अध्यक्षता में समिति के द्वारा इकाई के पक्ष में अद्यतन कन्सेंट टू ऑपरेट उपलब्ध कराने की शर्त पर पूंजीगत प्रोत्साहन अनुदान की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी थी। विभागीय पत्रांक 970 दिनांक 24.03.2012 के द्वारा कन्सेंट टू ऑपरेट की मांग की गयी थी। पूर्व

अनुशंसा पर निदेशक, उद्योग, जो योजना के नियंत्री पदाधिकारी है, निर्णय हेतु सक्षम है। यह मामला समिति में पुनर्विचार का नहीं है। भविष्य में न लाया जाए। दोषी इकाई पर नियम संगत कार्रवाई की जाए।

9. **सर्वश्री प्रतीक एग्रो एक्सपर्ट्स प्रा0लि0, रातू, राँची** :– यह इकाई लघु उद्योग अन्तर्गत राईस उत्पादन हेतु EM Part-II प्राप्त नई इकाई है। EM Part-II के आधार पर वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 03.12.2010 है, जो जिला उद्योग केन्द्र, राँची के पत्रांक 927 दिनांक 26.05.2011 के द्वारा निर्गत है। इकाई **के पक्ष में सक्षम प्राधिकार द्वारा डी0ओ0पी0 निर्धारित नहीं है**। विभिन्न अनुरोधों के बाद उपलब्ध 1 ½ वर्ष में नहीं कराया गया है। दिनांक 09.09.2011 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में इकाई के पक्ष में पूंजीगत प्रोत्साहन अनुदान की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी थी। पूर्व अनुशंसा JIP-2001 एवं JIIR-2003 के प्रतिकूल था। समिति की अनुशंसा पर निदेशक, उद्योग सभी तथ्यों पर नियंत्री पदाधिकारी के रूप में निर्णय में सक्षम है। समिति में पुनर्विचार का औचित्य नहीं है।

10. **सर्वश्री लक्की राईस मिल प्रा0लि0, हजारीबाग**– इकाई लघु उद्योग अन्तर्गत चावल एवं ब्रान उत्पादन की नई इकाई है। दिनांक 10.09.2010 को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में इकाई के पक्ष में पूंजीगत अनुदान की स्वीकृति अद्यतन consent order एवं factory license उपलब्ध कराने के शर्त्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की गयी। उद्योग निदेशालय के पत्रांक 1283 दिनांक 11.04.2012, 873 दिनांक 19.03.3012, 849 दिनांक 17.03.2012, 882 दिनांक 20.03.2012, 1940 दिनांक 15.06.2012 एवं 3441 दिनांक 05.11.2012 के द्वारा इकाई/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग एवं झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से क्रमशः डी0ओ0पी0 एवं कन्सेंट टू ऑपरेट की प्रति की मांग की गयी, **जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराया** गया। **इस तरह इकाई ने ढाई वर्ष से ज्यादा तक अनुदान प्राप्त** करने की पहल नहीं किया। **यह मामला पूर्णतः सक्षम प्राधिकार निदेशक, उद्योग के अधीन है।** अंतिम निर्णय लिया जाए। समिति के स्तर पर कोई कार्रवाई विचारणीय वांछनीय नहीं है। यह इकाई की स्वेच्छा है।

11. **सर्वश्री गोपालजी मॉडर्न राईस मिल, गिरिडीह** :– इकाई लघु उद्योग अन्तर्गत चावल एवं ब्रान उत्पादन की नई इकाई है जिसकी वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 30.03.2011 है। राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक 17.02.2012 को आयोजित बैठक में इकाई के पक्ष में अनुदान की अनुशंसा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा निर्गत अद्यतन कन्सेंट टू ऑपरेट की प्रति उपलब्ध कराने के शर्त पर की गयी। इकाई के द्वारा अभी तक कन्सेंट टू ऑपरेट की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है। निदेशक, उद्योग सक्षम प्राधिकार कार्रवाई करें। समिति के स्तर पर कोई कार्रवाई विचारणीय नहीं है।

12. **सर्वश्री निगम एल्वायज एण्ड स्टील प्रा0लि0, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, जमशेदपुर** :– यह इकाई लघु उद्योग अन्तर्गत स्टील कास्टिंग प्लेट आदि उत्पादन हेतु EM Part-II प्राप्त नई इकाई है जिसकी वाणिज्यिक उत्पादन तिथि EM-II के आधार पर 15.09.2010 आयडा द्वारा प्रतिवेदित है। इकाई के दावे **के दिनांक 17.02.2012 को** आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में **अद्यतन कन्सेंट टू ऑपरेट की प्रति उपलब्ध कराने के शर्त पर पूंजीगत अनुदान** मद में रू0 25.00 लाख रूपये की स्वीकृति की अनुशंसा की गयी थी। अद्यतन **इकाई के द्वारा अद्यतन** कन्सेंट टू ऑपरेट की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी एवं

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक 5022 दिनांक 23.11.2012 ने सूचित किया है कि यह निर्गत नहीं है। पूर्व समिति के निर्णय के क्रम में निदेशक, उद्योग सक्षम प्राधिकार अंतिम निर्णय हेतु सक्षम है। समिति के सतर पर यह विचारणीय नहीं है।

13. **सर्वश्री कामाख्या राईस मिल प्रा0लि0, हजारीबाग**--इकाई लघु उद्योग अन्तर्गत चावल एवं ब्रान उत्पादन की नई इकाई है जिसका वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 02.12.2009 है, जो जिला उद्योग केन्द्र, हजीरबाग के ज्ञापांक 47 दिनांक 15.01.2010 के द्वारा निर्गत है। **दिनांक 25.10.2010 को राज्य स्तरीय समिति की बैठक में इकाई के पक्ष में पूंजीगत** अनुदान के रूप में रु0 16.75 (सोलह लाख पचहतर हजार रूपये) मात्र अद्यतन consent order उपलब्ध कराने के शर्त्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की गयी थी। इकाई अद्यतन लगभग ढाई वर्ष में उक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा सकी। झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पत्रांक 5022 दिनांक 23.11.2012 के द्वारा बताया गया है कि सर्वश्री कामख्या राईस मिल, **हजारीबाग के consent to establish (NOC) को ही रिजेक्ट किया गया है।** अतः स्थापित स्थल पर इकाई वैधानिक रूप से स्थापित नहीं की जा सकती है। यह मामला प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act-1981 & section 24 & 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act-1974 की अवहेलना का है। यह निदेशक, उद्योग के सतर पर अंतिम निर्णय लिया जाना है। समिति के समक्ष यह पुनर्विचारणीय नहीं है।

इकाई के पक्ष में न तो NOC निर्गत है न ही consent गलत है।

दिनांक 12.03.2013 की कार्यवाही

14. **सर्वश्री समर्थ इंजीनियरिंग कं0 प्रा0लि0, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, जमशेदपुर** – यह इकाई मध्यम उद्योग अन्तर्गत ऑटो मोबाईल कम्पोनेन्ट उत्पादन हेतु स्थाई रूप से निबंधित है। इकाई के द्वारा विस्तार योजना कार्यान्वित की गई है जिसकी वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 02.08.2010 है। परामर्शी द्वारा इकाई के पक्ष में निर्गत विस्तार/विशाखन के कार्यान्वयन से **संबंधित वाणिज्यिक उत्पादन तिथि का प्रमाण पत्र निर्गत** के दौरान consent to operate की कमी बतायी गयी है। पत्र में इकाई के द्वारा किए गए निवेश से संबंधित आंकड़ा भी अंकित नहीं है।

समिति के द्वारा पाया गया कि निदेशालय के द्वारा निर्गत प्रासंगिक इकाई का डी0ओ0पी0 बिना कन्सेंट टू ऑपरेट के ही निर्गत है, जो नियम प्रतिकूल एवं defective है। अतः प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act-1981 & section 24 & 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act-1974 की अवहेलना का है। समिति के द्वारा वर्णित परिस्थिति में इकाई के दावे को ***अस्वीकृत (reject)*** की अनुशंसा किया गया।

15. **सर्वश्री सोमा पफ मेटल प्रा0लि0, आयडा :–** यह इकाई लघु उद्योग अन्तर्गत ऑटो कम्पोनेन्ट का उत्पादन की नयी इकाई है जिसकी वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 02.01.2009 आयडा के ज्ञापांक 1643 दिनांक 15.09.2009 के द्वारा निर्धारित की गयी है। परामर्शी के द्वारा समीक्षोपरान्त बताया गया कि इकाई के पक्ष में अभी तक **कन्सेंट टू ऑपरेट झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के** द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

समिति के द्वारा पाया गया कि इकाई के पक्ष में डी0ओ0पी0 बिना कन्सेंट टू ऑपरेट के निर्धारित किया गया है, यह मामला प्रदूषण नियंत्रण एक्ट के under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution Act-1981 & section 24 & 25 of the Water (Prevention and Control of Pollution Act-1974 की अवहेलना का है। कोई भी इकाई बिना कन्सेंट टू ऑपरेट के कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। आयडा के द्वारा इकाई के पक्ष में defective DOP निर्धारित किया गया है। यह इकाई संचालित illegally है। Illegal इकाई के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। समिति के द्वारा इकाई दावे को ***अस्वीकृत (reject)*** की अनुशंसा किया गया।

16. **सर्वश्री वेंकटेश आयरन एण्ड एल्वायज प्रा0लि0, रामगढ़ :–** यह इकाई मध्यम उद्योग अन्तर्गत स्पांज आयरन का उत्पादन की नई इकाई है। वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 06.10.2009 जो निदेशालय के ज्ञापांक 1910 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा निर्धारित की गयी है। इकाई के द्वारा दिनांक 24.03.2012 को पूंजीगत प्रोत्साहन अनुदान का दावा समर्पित किया गया है। जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग के पत्रांक 330 दिनांक 21.04.2012 के द्वारा निदेशालय को प्रेषित किया गया है। परामर्शी के द्वारा समीक्षोपरान्त बताया गया कि इकाई के द्वारा 02 वर्ष 05 माह 15 दिन विलंब से आवेदन दिया गया है। सक्षम स्तर पर विलंब क्षांति पर निर्णय लिया जाए। आवेदन otherwise defect free प्रतीत हो।

17. **सर्वश्री आलोक स्टील इण्ड0 प्रा0लि0, रामगढ़ :–** यह इकाई मध्यम उद्योग अन्तर्गत स्पांज आयरन उत्पादन करनेवाली इकाई है। जिसकी वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 08.08.2009 है, जो निदेशालय के ज्ञापांक 2712 दिनांक 03.09.2012 के द्वारा निर्धारित की गयी है। इकाई के द्वारा दिनांक 25.03.2013 को सीधे निदेशालय में आवेदन उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार इकाई के **द्वारा 02 वर्ष 24 दिन विलंब** से आवेदन दिया गया है। यह मामला सचिव, उद्योग के स्तर पर विचारणीय है। समिति के द्वारा पाया गया कि इकाई के द्वारा डी0ओ0पी0 निर्धारण हेतु अपने पत्रांक ASIPL/359/11-12 दिनांक 21.11.2011 के द्वारा 100 टन/दिन क्षमता के चार किल्न की स्थापना के उपरान्त दिनांक 08.08.2009 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की सूचना देते हुए वाणिज्यिक उत्पादन तिथि प्रमाण पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। समिति के द्वारा पाया गया कि इकाई के द्वारा **स्वयं वाणिज्यिक उत्पादन तिथि का निर्धारण का आवेदन दो वर्ष तीन माह** विलंब से समर्पित किया गया है तथा इकाई के द्वारा आवेदन दिए जाने में विलंब का कारण वाणिज्यिक उत्पादन तिथि निर्धारण में विलंब बताया गया है, जो कि सर्वथा मान्य नहीं है। अतः समिति के द्वारा इकाई के दावे को ***अस्वीकृत (reject)*** किया गया।

18. **सर्वश्री कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लि0 औ0 क्षे0, बोकारो** :– यह इकाई लघु उद्योग अन्तर्गत एम0एस0 इनगॉट उत्पादन हेतु स्थाई रूप से निबंधित है जिसका PMT निबंधन के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 09.11.2004 है, जो बियाडा के पत्रांक 1535 दिनांक 19.10.2006 के द्वारा निर्गत किया गया है। **इकाई के पक्ष में डी0ओ0पी0 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है** जिसे विभाग के पत्रांक 06 दिनांक 10.01.2008 के द्वारा निदेशालय को प्रेषित किया गया है।

इकाई के पक्ष में बियाडा के द्वारा EM Part-II भी निर्गत किया गया है। सर्वश्री कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी लि0 औ0 क्षे0, बोकारो जो एक पुरानी इकाई, जो वर्ष 1007–08 में कार्यादेश के अभाव में बन्द हो गयी थी। इकाई के द्वारा उसी कैम्पस में नए मशीन आदि स्थापित करने के बाद नए आईटम फेरो एल्वायज, फेरो मेगनीज एवं सिलिको मैगनीज का उत्पादन दिनांक 09.11.2004 से किया जा रहा है। इकाई के द्वारा भूमि एवं भवन को छोड़कर सभी आधारभूत सुविधाएं तथा प्लांट्स एवं मशीनरी आदि का नए सिरे से स्थापित किया गया है।

सचिव, उद्योग के न्यायालय में विलंब अवधि की क्षांति के सुनवाई के क्रम में दिए गए निवेश के आलोक में इकाई के पत्र में कन्सेंट टू ऑपरेट के आलोक में अभी तक संशोधित डी0ओ0पी0 बियाडा के द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।

इकाई के कागजातों की जांच विभागीय परामर्शी से करायी गयी। परमर्शी के द्वारा इकाई के विस्तारीकरण के अन्तर्गत treat करने का सुझाव दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से समिति को अवगत कराया गया। समिति के द्वारा इकाई के जमीन/प्लांट एवं मशीनरी के अधिष्ठापन एवं अन्य संबंधित तथ्यों के जांच किए जाने हेतु एक समिति का गठन निम्नलिखित रूप में किया गया है :–

1. निदेशक, MSME (अध्यक्ष)
2. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, हजारीबाग।
3. बियाडा के प्रतिनिधि
4. इकाई के वित्त पोषक बैंक के प्रतिनिधि

गठित समिति के प्रतिवेदन के बाद इकाई के दावे पर विचार किये जाने का निर्णय लिया गया।

19. **सर्वश्री मित्तल पॉली पैक्स प्रा0लि0, औ0क्षे0, धनबाद** :– यह इकाई प्लास्टिक बैग उत्पादन हेतु निबंधित इकाई है। इकाई के विस्तार के उपरान्त वाणिज्यिक उत्पादन तिथि दिनांक 01.03.2001 है तथा पूंजीगत अनुदान का आवेदन बियाडा के पत्रांक 131/08/xii/01-08 दिनांक 19.11.2008 द्वारा निदेशालय को भेजा गया। यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक विचारणीय रहा है।

राज्य सरकार ने झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 में देय सुविधाएं ही दी जा सकती है। इस आशय की सूचना इकाई को दी है, जो विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में इकाई को निदेशालय के पत्रांक 4494 दिनांक 25.10.2005 के द्वारा झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 के अन्तर्गत प्रोत्साहन सुविधा

हेतु दावा प्रस्तुत किए जाने की सूचना दी गयी। अतः समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि सचिव, उद्योग के विलंब क्षांति के विचारणीय बिन्दु पर अंतिम निर्णय प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जाए।

20. **सर्वश्री स्टील सिटी वेभरेज प्रा0लि0, आयडा** :– यह इकाई गध्यम उद्योग अन्तर्गत फूट जूस/जूस पेट बोतल में फूट जूस का उत्पादन हेतु स्थाई रूप से निबंधित है। इकाई के द्वारा विस्तार योजना कार्यान्वित की गयी है जिसकी वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 30.05.2008 है, जो निदेशालय के ज्ञापांक 291 दिनांक 06.02.2012 के द्वारा निर्धारित की गयी है। इकाई के द्वारा दिनांक 03.03.2012 को सीधे निदेशालय में आवेदन उपलब्ध कराया गया ।

इकाई के दावे की जांच विभागीय परामर्शी से करायी गयी। परामर्शी के द्वारा निम्नलिखित कागजातों की कमी बतायी गयी :–

(i) The unit did not submit permanent registration certificate, power supply agreement, valuation report for investment in land/building, factory license, production report of 3 year prior to start of expansion, balance sheet for the year 2006-07, CA certificate for capital investment, affidavit declaring that plant and machinery are new and certificate from bank in form 1.6.

(ii) Statement of capital expenditure plant and machinery did not provide the breakup of bills under the head sale value, sales tax/central excise/fright and installation cost.

इकाई के द्वारा 03 वर्ष 02 महीना 23 दिन विलंब से आवेदन दिया गया है जिसकी क्षांति पर सुनवाई सक्षम सचिव, उद्योग के न्यायालय में की जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों से समिति को अवगत कराया गया। समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि वांछित कागजातों की मांग की जाए एवं विलंब अवधि की क्षांति पर चल रही सुनवाई को निर्णय के इंतजार किया जाए।

21 **सर्वश्री कोरस एग्रो प्रा0लि0, तुपुदान औ0 क्षे0, राँची** :– सर्वश्री कोरस एग्रो प्रा0लि0, तुपुदान औ0 क्षे0, राँची चावल उत्पादन हेतू निबंधित लघु नई इकाई है। जिसकी वाणिज्यिक उत्पादन तिथि **दिनांक 02.11.2009** है एंव पूंजीगत अनुदान का आवेदन दिनांक 09.09.2010 को समर्पित किया गया है, जो रियाडा के पत्रांक 804 दिनांक 26.08.2011 द्वारा निदेशालय को भेजा गया है। इकाई के द्वारा 04 माह विलंब से आवेदन दिया गया है। विलंब अवधि की क्षांति सक्षम स्तर से अप्राप्त है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि सर्वश्री कोरस एग्रो प्रा0लि0, तुपुदाना को प्रदूषण रोकने के समुचित उपाय नहीं किए जाने के कारण बंद करने (closure) का notice दिया गया है। उक्त से संबंधित झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के द्वारा पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। उक्त तथ्यों से समिति को

22

अवगत कराया गया। इन बिन्दुओं के आलोक में अगली बैठक में निर्णय, विलंब क्षांति पर सक्षम निर्णय के बाद विचार किया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(डी0पी0विद्यार्थी)	(ड0 महेन्द्र महतो)	(महादेव लकड़ा)	(राज कुमार)	(ए0पी0सिंह)
उप उद्योग निदेशक	पर्यावरण विशेषज्ञ झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्	निदेशक, एम0एस0एम0ई0, राँची	उप सचिव उद्योग विभाग	निदेशक, उद्योग